राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन जी–3/1 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांकः– एफ 09(05)(12–1)सान्याअवि/2013–14/7727 जयपुर, दिनांकः 12.05.2013

आदेश

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम, 2013 के अन्तर्गत निम्नानुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

अध्यायः 3 के नियम 8 :– "पेंशन सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी किये जाने की तारीख से संबंधित माह की प्रथम तारीख से पूरे माह के लिये संदेय होगी।"

अध्यायः 4 के नियम 16(iii) :– "पेंशन स्वीकृति के माह में ही देय होगी एवं स्वीकृति दिनांक के तत्काल पश्चात जारी की जायेगी। मनीऑर्डर से पेंशन भुगतान के मामलों में मनीऑर्डर रसीद यथासम्भव प्राप्त कर रखी जायेगी। मनीऑर्डर लौट आने पर पेंशन का भुगतान पेंशनर के व्यक्तिगत रूप से संबंधित कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने पर किया जा सकेगा।"

स्पष्टीकरण :– उदाहरण के रूप में उक्त पेंशन नियमों के अन्तर्गत यदि किसी पात्र आवेदक को पेंशन की स्वीकृति माह विशेष की 8 तारीख को स्वीकृत होने पर उसे संबंधित माह की 8 तारीख से ही पूरे माह के लिये संदेय होगी। जो कि उक्त माह की 8 तारीख के तत्काल पश्चात् जारी की जायेगी।

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ मनजीत सिंह)
प्रमुख शासन सचिव
12/5/13

क्रमांकः एफ 09(05) (12—1) सान्याअवि / 2013—14 / 7727 जयपुर दिनांक 12.05.13

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
5. प्रमुख शासन सचिव, वित्त / राजस्व / सामाजिक न्याय एवं अधि. विभाग राज. जयपुर।
6. समस्त संभागीय आयुक्त / समस्त जिला कलेक्टर / समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी।
7. निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त कोषाधिकारी / उपकोषाधिकारी।
9. अतिरिक्त निदेशक(पेंशन), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त उप निदेशक / सहायक निदेशक / जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.।

आयुक्त 12/5/13